संख्या-84/2022/1629/26-3-2022

प्रेषक

रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

निदेशक
जनजाति विकास
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक: 20 जुलाई 2022

विषय:- केन्द्र पुरोनिधानित अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना अन्तर्गत भारत सरकार से वर्श 2020-21 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष राज्य स्तर पर उपलब्ध केन्द्रांश की धनराषि को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवमुक्त करते हुये एस0एन0ए0 खाते में जमा किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-107/02(2)/ज0जा0वि0/के0पु0दशमोत्तर/2022-23, दिनांक-14.07.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से केन्द्र पुरोनिधानित अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना अन्तर्गत भारत सरकार से वर्ष 2020-21 एवं वर्ष 2021-22 में स्वीकृत धनराषि के सापेक्ष राज्य स्तर पर उपलब्ध केन्द्रांश की धनराषि को चालू वित्तीय वर्श 2022-23 में अवमुक्त करते हुये एस0एन0ए0 खाते में जमा किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में केन्द्र पुरोनिधानित दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से वर्श 2020-21 एवं वर्ष 2021-22 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष राज्य स्तर पर उपलब्ध केन्द्रांश की अवशेष धनराषि रू0-6,12,02,503/- (रू0 छः करोड बारह लाख दो हजार पांच सौ तीन मात्र) एस0एन0ए0 खाते में जमा किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। उक्त धनराशि के व्यय की अनुमति पृथक से शासन प्राप्त की जायेगी।

3- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक-"2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0101-दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति (के.100/रा.0)-21-छात्रवृत्तियां और छात्र वेतन के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-वित्त ई-4-117-X-2022-23 दिनांक- 20 जुलाई, 2022 द्वारा प्राप्त सहमति के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

पृसं0- 84/2022/1629 (1)/26-3-2022 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।

2- महालेखाकर (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2,उ0प्र0 शासन।

6- निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।